300

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1297] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 10, 2012/आषाढ़ 19, 1934

No. 1297] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 2012/ASADHA 19, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2012

का.आ. 1538(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 222(अ), तारीख 17 मार्च, 2011 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कंपनी रजिस्ट्रार को इस शर्त के अधीन कि केन्द्रीय सरकार शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहृत कर सकेगी या निम्नलिखित धाराओं के अधीन रखते हुए स्वयं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी, यदि उसकी राय में लोक हित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की उक्त धाराओं के अधीन उसमें निहित शक्ति और कृत्यों का प्रत्यायोजन करती है, अर्थात् :—

(क) धारा 21,

(ख) धारा 25,

(ग) धारा 31की उप-धारा (1) का परंतुक,

(घ) धारा 108 की उप-धारा (1घ),

(ङ) धारा 572.

2. धारा 108 की उप-धारा (1घ) के अधीन शक्तियां और कृत्य या तो उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, या उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जिसमें आवेदक मामूली तौर पर निवास करता है, प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे ।

3. यह अधिसूचना 12-8-12 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 1/1/2003-सीएल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2012

S.O. 1538(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 637 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the notification of the Government of India, in the then Department of Company Affairs, number G.S.R. 222(E), dated the 17th March, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby delegates to the Registrar of Companies, the power and functions vested in it under the following sections of the said Act, subject to condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers and function under the said sections, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest, namely :—

(a) section 21,

(b) section 25,

(c) proviso to sub-section (1) of section 31,

(d) sub-section (1D) of section 108,

(e) section 572.

2. The powers and functions under sub-section (1D) of Section 108 shall be exercised and performed either by the Registrar of Companies, of the State in which the registered office of the Company is situated, or by the Registrar of Companies of the State in which the applicant ordinarily resides.

3. This notification shall come into force with effect from 12th August, 2012.

[F. No. 1/1/2003-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

2533 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.